भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 261

04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: परम्परागत कृषि विकास योजना

261. श्री अरविंद धर्मापुरीः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) परम्परागत कृषि विकास योजना के कवरेज सहित इसके अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उक्त केन्द्रीय योजना के अंतर्गत अब तक पंजीकृत किए गए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का ब्यौरा क्या है और उनके कार्यान्वयन में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) पीएम-किसान मानधन योजना की स्थिति क्या है और इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार पेंशन प्राप्त कर रहे किसानों की संख्या कितनी है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): सरकार प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के जैविक खेती परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) नामक घटक को प्रोत्साहित कर रही है। पीकेवीवाई स्कीम क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण में जैविक खेती से जुड़े किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन और विपणन तक समग्र सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य उन्हें आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने में जैविक क्लस्टर (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) बनाना है।

पीकेवीवाई के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जैविक क्लस्टरों में 3 वर्षों के लिए 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता, डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों को ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए दी जाती हैं। विपणन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन आदि के लिए 3 वर्षों के लिए 4,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रमाणीकरण और अवशेष विश्लेषण के लिए 3 वर्षों के लिए 3,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रदान किए जाते हैं। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 3 वर्षों के लिए 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता भी प्रदान की जाती है। वर्ष 2015-16 से, पीकेवीवाई के तहत 25.30 लाख किसानों के साथ 52289 क्लस्टर विकसित कर 14.99 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के तहत शामिल किया गया है।

(ख): दिनांक 31.12.2024 तक, 9268 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को "10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन" के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत पंजीकृत किया गया है। किसान समूहों को इनपुट, ऋण और विपणन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह स्कीम एफपीओ प्रबंधन सहायता, मैचिंग इक्विटी अनुदान, क्रेडिट गारंटी फंड और एफपीओ का समर्थन करने वाले समुदाय आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) द्वारा विपणन सहायता के साथ इन चुनौतियों का समाधान करती है।

(ग): प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएमकेएमवाई) वर्ष 2019 में कार्यान्वित किया गया था। नामांकन के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है और नामांकित किसानों को 60 वर्ष की आयु होने के बाद न्यूनतम 3000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। दिनांक 25/11/2024 तक कुल 24.66 लाख किसान नामांकित हैं, वे पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं।

*****